न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–35/2025

1. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विक्रम सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांकः– 27/1/2026

अपीलांट पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 3079 दिनांक 28.5.2024 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत किया गया को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 49/500 के प.न. 389/456 मु. न. 209 के किला नं. 1 ता 25 की 6.3250 हैक्टेयर स्थित है जिसमें कमलेश पत्नि बलवान सिंह पुत्रवधु शादीराम [illegible] तहसील नोहर भादरा जिला हनुमानगढ़ संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से खातेदार [illegible] प्रकार दर्ज है एंव कमलेश पत्नि बलवानसिंह पुत्रवधु शादीराम जाति जाट साकिन [illegible]ल तहसील भादरा ने [illegible] दर्ज 1/2 हिस्से में 1.5180 हैक्टर भूमि समेस्ता पत्नि पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर को जरिये बैयनामा बैचान कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. समेस्ता पत्नि पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर ने दिनांक 08.10.2018 को रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 162/ 498 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में से 1.5180 हैक्टर भूमि कमलेश पत्नि बलवानसिंह पुत्रवधु शादीराम जाति जाट साकिन झासल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से समस्त प्रतिफल का भुगतान कर खरीद की थी एंव वाद भूमि का कब्जा मौके पर ही प्राप्त कर लिया था। एंव मुताबिक बैयनामा के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 162/498 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में से 1.5180 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार हुई।

3. समेस्ता पत्नि पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर दिनांक 22.02.2021 को फौत हो चुकी है तथा उनके समेस्ता पत्नि पवन कुमार जाति जाट की फौतदगी बाद उनके पुत्र विक्रमसिंह एवं अजीतसिंह ने स्वंय को वारिसान बताते हुए वाद भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया एवं नामान्तरण सं. 3079 दिनांक 28.5.2024 वारिसनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया था एवं नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व विभाग ने कर्मचारियों द्वारा वारिसान की जाँच नही कि गई एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया केवल एक तरफ मातहत अदालत द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जो कि विधि की अवहेलना में स्वीकृति किया कि विधि की अवहेलना में स्वीकृत किया गया है, जो कि अपास्तनीय है।

4. रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 162/498 की कुल तादादी 6. 3250 हैक्टर भूमि में से 1.5180 हैक्टर भूमि अपीलान्ट ने अपनी आय से खरीद कर अपनी पत्नि समेस्ता के नाम दर्ज करवाई थी एवं अपीलान्ट वारिसान था चुंकि वाद भूमि ससुराल पक्ष में खरीद की गई थी, इसलिए हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वाद भूमि में अपीलान्ट वारिसान होगा। चुंकि रेस्पोडेन्ट ससं. 1 ता 2 ने अपीलान्ट का हित खत्म करने के लिए केवल दोनों को वारिसान दिखाकर नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है एवं वाद भूमि में अपीलान्ट का हक व हिस्सा था एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 ने साज बाज कर नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कि कतई विधि संगत नही है एवं बिना जाँच किये रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जो कि अपास्तनीय है। 5. अपीलाधीन नामान्तरण को पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था एवं अपीलान्ट वाद भूमि में अपने नाम भूमि दर्ज कराने [illegible] हल्का से मिला तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने भूमि अपने नाम [illegible] करवा ली है एवं जिससे अगले दिन दिनांक 16.06.25 को नामान्तरण की प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है तथा देरी क्षमा करने का कारण रिटोरियसत है तथा उक्त भूमि का नामान्तरण विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा उक्त केस इस बिन्दु पर खारिज योग्य नही है चुंकि विधि द्वारा सुस्थापित है किसी शुन्य आदेश को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

चुनौती देने के लिए परिसीमा अवधि कतई आड़े नही आती है। इसलिए प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभाविक मानते हुए क्षमा किया जाना न्यायोचित है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तरण सं. 3079 दिनाक 28.05.2024 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ ब0हि0ब0 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश जारी किये जावे ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 2 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या –03 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एंव पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा विरासतन नामान्तरण संख्या 3079 दिनांक 28.05.2024 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील, को तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा नामान्तरण संख्या 3079 तस्दीक करते समय समेस्ता पत्नि पवन कुमार जाति जाट के वारिसान की सही जांच पड़ताल न करते हुए नामान्तरण तस्दीक किया, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 3079 दिनांक 28.05.2024 रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर को अपास्त की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि समेस्ता पत्नी पवन कुमार जाति जाट साकिन ढिलकी के वारिसान की जांच, पड़ताल कर, समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज 27/1/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)